भारत के राजपत्र असाधारण, (भाग–I, खण्ड I) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 35 / 2015–2020
दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

विषयः उदगम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी (एजेंसियों) को विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट–2ड. के तहत सूचीबद्ध करने तथा इनके विवरण में संशोधन करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा निम्नलिखित एजेंसियों को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

(i). चमड़ा निर्यात परिषद् (सीएलई)
नं. 1, शिव गंगा रोड़, नुंगमबक्कम
चैन्नई, तमिलनाडु, 600034
दूरभाषः 044–48684380–84
ई–मेलः cle@cleindia.com
वेबसाइटः www.leatherindia.org

(ii) उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई)
चैम्बर भवन, चैम्बर मार्ग,
मेवाड़ इंडस्ट्रीयल एरिया, मादड़ी,
उदयपुर, राजस्थान– 313003
दूरभाषः 0294–2491060, 2492214, 2492215
मोबाइल सं. – 800156600 / 9351917002 / 9351917008
ई–मेलः info@ucciudaipur.com, uccisec@ucciudaipur.com
वेबसाइटः www.ucciudaipur.com

2. तद्नुसार, विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्टों एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] के अंतर्गत उपर्युक्त एजेंसियों के नाम निम्नानुसार शामिल किए जाते हैः–

एजेंसी का नाम	राज्य	क्रम सं.
चमड़ा निर्यात परिषद् (सीएलई)	तमिलनाडु	16
उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई)	राजस्थान	06

3. इसके अलावा विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में उप शीर्षक 'महाराष्ट्र' के अंतर्गत क्रम सं. 13 पर सूचीबद्ध निम्नलिखित एजेंसी के नाम और पते के विवरण को भी निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

परिशिष्ट–2ड. में क्रम सं.	एजेंसी का मौजूदा विवरण	एजेंसी का संशोधित विवरण
13.	मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन बजाज भवन, पी–2, एमआईडीसी, स्टेशन रोड़, औरंगाबाद – 431005 दूरभाषः (0240)–324509 / 355090 फेक्सः (0240)333029 ई–मेलः mia-abd@satyam.net.in	चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) बजाज भवन, पी–2, एमआईडीसी, स्टेशन रोड़, औरंगाबाद – 431005, दूरभाषः 0240–2333029 ई–मेलः office@cmia.co.in वेबसाइटः www.cmia-aurangabad.com

4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत दो नई एजेंसियों नामतः चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) और उदयपुर चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई) को उद्‌गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है। परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत पहले से सूचीबद्ध मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन का नाम बदल कर चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) कर दिया गया है। एजेंसी के पते का विवरण भी अद्यतन कर दिया गया है।

अमित यादव
11/11/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/93/180/67/एएम–21/पी.सी–II(बी)/ई–28960 से जारी)